न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आईसीआईसीआई बैक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी		1.भुराराम पुत्र रामचन्द्र मकान नम्बर 29/ 91, हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा 2.श्रीमती भगवती देवी पत्नि भुराराम मकान नं.2/ 91, हाऊसिग बोर्ड बालोतरा 3.नेमीचन्द सोनी शांति मार्ग, नेहरू कॉलोनी,बालोतरा

न्यायालय जिला म.जिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002]

उपस्थितः— श्री महेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

<u>आदेश</u> दिनांक 08.08.2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002(The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002] के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी की बहस को सुना गया।
2. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को प्रार्थी बैक ने दिनांक 18.10.2003 को रूपये 3,50,000/—का ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी बैक के पक्ष में ऋणी द्वारा ऋण इकरारनामा आदि दस्तावेज अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किये गये। अप्रार्थी संख्या 0 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर अपने स्वामित्व की सम्पति आवासीय मकान नम्बर 2/91, जो हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा में में स्थित है,,जिसका क्षेत्रफल 69.19 वर्ग मीटर है,प्रार्थी बैक के पास जरिये Mortgage by

जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

Scanned by CamScanner

deposit of Title deed के बंधक रखा है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋणी व जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तो के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया है। ऋणी व जमानती ऋण इकरारनामा की शर्तो की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस देकर बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी राशि जमा नहीं कराई गई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूति स्वरूप रहन रखी गयी अपने स्वामित्व की सम्पति जो उपर वर्णित है, का कब्जा एंव इससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैक को दिलाया जावे।

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी बैक से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को दिनांक 18.10.2003 को ऋण सुविधा के रूप के उपरोक्तानुसार ऋण दिया। उक्त ऋण के बदले इकरारनामा व उससे सम्बन्धित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थीगण /ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया गया। इस पर बैक ने खाते को दिनाक 05.02.2008 को एन.पी.ए घोषित किया व अप्रार्थीगण/ऋणी के ऋणी खाते में रूपये 6,48,229/–दिनांक 05.02.2008 तक ब्याज सहित बकाया होना बताया। ऋणी द्वारा इकरारनामा की शर्तो की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2008 को बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया तथा दो समाचार पत्रो में दिनांक 30.06.20132 को नोटिस का प्रकाशन भी करवाया गया। नोटिस प्राप्ति एंव समाचार पत्र में प्रकाशन के पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने बैक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। The securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act 2002की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई उक्त वर्णित सम्पति को अप्रार्थीगण से प्राप्त कर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जरिये पुलिस अधीक्षक बाड़मेर,प्रार्थी बैक को संभलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एव प्रार्थी बैक को आवश्यक कार्यवाही एंव पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 08.08.2018 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Scanned by CamScanner